

2018/00155

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 16/2018 (प्रार्थना पत्र - रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति गूर्जर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा
2. प्रबन्धक, हा0 क्षे0 ग्रामीण बैंक नीमोदा हरिजी

(अप्रार्थीगण)

- उपस्थित :-
1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक प्रार्थी)
  2. श्री गोविन्द नामदेव अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 29.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम शोली तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 358 हाल खसरा नम्बर 925, 926 जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 तक में खाता नम्बर 183 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम शोली तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013-2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एवं किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी0वी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंठटन नहीं करने तथा किये गये आंठटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 183 सम्बत् 2074-2077 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणकी जयें नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री गोविन्द नामदेव उपस्थित हुए। अप्रार्थी नं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी नं0 2 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।



*(Handwritten signature)*

3. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी नं० 2 की बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम शोली तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 358 हाल खसरा नम्बर 925, 926 जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 तक में खाता नम्बर 183 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम शोली तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013-2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एवं किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी०बी०सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं० प०10(3) राज०/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 183 सम्बत् 2074-2077 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।
4. वकील अप्रार्थी नं० 1 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि उक्त आराजी अप्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार है । अतः उक्त रेफरेन्स निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. प्रकरण में राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी नं० 1 की बहस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम शोली तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 358 हाल खसरा नम्बर 925,926 जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 तक में खाता नम्बर 183 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम शोली तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013-2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एवं किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी०बी०सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं० प०10(3) राज०/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 183 सम्बत् 2074-2077 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो०, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

(वासुदेव मालावत)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा